संबल योजना

चर्चा में क्यों?

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संबल योजना को श्रमिकों के लिये महत्त्वपूर्ण बताते हुए इसे भारत की "मानवता की सेवा" की सांस्कृतिक भावना का प्रतिबिंब बताया।

- उन्होंने एक-क्लिक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के पाँचवें चरण में 7,953 श्रमिकों को 175 करोड़ रुपये हस्तांतरित किये, जिससे उन्हें त्वरित, पारदर्शी और प्रभावशाली राहत मिली।

मुख्य बिंदु

- **संबल योजना के बारे में:**
  - राज्य सरकार ने वर्ष 2018 में राज्य के लाखों असंगठित श्रमिकों को **सामाजिक सुरक्षा** प्रदान करने के लिये मुख्यमंत्री जन-कल्याण (संबल) योजना शुरू की थी।
  - संबल योजना में अब तक 1.77 करोड़ से अधिक श्रमिक पंजीकृत हैं तथा पंजीकरण अभी भी जारी है।
  - यह कार्यक्रम मृत्यु, दुर्घटना या अन्य संकट की स्थिति में श्रमिकों और उनके परिवारों को अनुग्रहपूर्वक वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- **सहायता:** इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित सहायता प्रदान की जाती है:
  - **अंत्येष्टि सहायता: 5,000 रुपये**
  - प्राकृतिक मृत्यु सहायता: 2,00,000 रुपये
  - आकस्मिक मृत्यु सहायता: 4,00,000 रुपये
  - आंशिक विकलांगता सहायता: 1,00,000 रुपये
  - स्थायी विकलांगता सहायता: 2,00,000 रुपये
- **वितरण:**
  - योजना की शुरुआत से अब तक, मध्य प्रदेश में 7,60,886 लाभार्थियों को 7,000 करोड़ रुपये से अधिक वितरित किये जा चुके हैं।
- **नई श्रेणी:**
  - मार्च 2024 से, योजना का विस्तार गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों तक किया गया है, जिनमें सामान तथा सेवाओं की डोर-टू-डोर डिलीवरी करने वाले श्रमिक शामिल हैं।
- **स्वास्थ्य सेवा लिंकेज:**
  - संबल लाभार्थियों को आयुष्मान भारत निरामय योजना के तहत भी लाभ प्राप्त हैं,, जो प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करती है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/sambal-scheme